भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 68
उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 21 जुलाई, 2025
30 आषाढ़, 1947 (शक)

एएमएएसआर अधिनियम 1958 के अंतर्गत साइटों की अधिसूचना रद्द करना

68. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम (एएमएएसआर) अधिनियम,1958 के अंतर्गत चिह्नित और सूचीबद्ध राष्ट्रीय स्मारकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को कर्नाटक के संसद सदस्य या राज्य सरकार की ओर से उक्त सूची से तीन स्थलों कुमता, होसुर, बेडकेनी की अधिसूचना रद्द करने के संबंध में कोई आवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के 32 स्मारकों एवं पुरातत्वीय स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया गया है।

(ख) और (ग): श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी, माननीय संसद सदस्य की ओर से तीन स्मारकों, नामत : (i) कुमता में अंग्रेजी विद्यालय के सामने एक बाघ की प्रतिमा (ii) होसुर में ग्राम मंदिर के समीप एक नक्काशी युक्त पत्थर और (iii) बेडकेनी में पत्थर (वीरागल) को गैर अधिसूचित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है। केंद्रीय संरक्षित स्मारकों को अधिसूचित/गैर अधिसूचित किया जाना मामले की विशेषता पर निर्भर होता है जो एक सतत प्रक्रिया है।

*****